संख्या: 272 /2023/3673 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन,लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2023

विषय: जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण कार्य हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- 257/2023/ 1910/चार-2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 द्वारा जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू0 2127.87 लाख मूल्यांकित करते हुए प्रायोजना प्रस्ताव में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के सापेक्ष सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्य / कार्य मदों पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। शासनादेश संख्या-166/2022/1718/चार-2022 दिनांक 23 अगस्त, 2022 द्वारा इस परियोजना हेतु रू0 199.95 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली मे अवध केसरी राना बेनी माधव बक्श सिंह की स्मृति में सभागार, पुस्तकालय आदि के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये संशोधित आगणन रू0 2498.21 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2127.87 लाख (रू0 इक्कीस करोड़ सत्ताइस लाख सत्तासी हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 257/2023/ 1910/चार-2023 दिनांक 17 अगस्त, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) संस्कृति निदेशालय द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का होगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 5.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसे यथावत् अनुमन्य कर दिया गया है। विस्तृत आगणन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त कर वास्तिकता के आधार पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2022 की अनुसूची दरों तथा डी0एस0आर0 - 2021 पर प्रस्तावित की गयी है। प्रायोजना में निहित ऐसी कार्यमदें जो कि लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वर्ष 2022 की दर अनुसूची में नहीं है तथा जिनको बाजार दरों/कोटेशन पर आधारित किया गया है, को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। इन दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय /कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/ क्षेत्रफल में वृद्धि, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि की स्थिति में सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य नहीं किया जायेगा।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव में कतिपय कार्यमदों- आडिटोरियम साउण्ड सिस्टम, वीडियो प्रोजेक्टर सिस्टम, स्टेज लाइटिंग, स्टेज कर्टेन सिस्टम, बैक स्टेज एनाउंसमेंट कम कॉल सिस्टम, चेयर्स मीटिंग हॉल हेतु, एक्जीक्यूटिव चेयर्स, टेबिल मीटिंग हॉल हेतु, PROSCENIUM तथा CYCLOROMA की लागत को व्यय वित्त समिति के निर्देशानुसार प्रभाग द्वारा अनुमन्य नहीं किया गया है। उक्त कार्य मदों हेतु पृथक से प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(12) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यमदें यथा- सेन्ट्रल ए0सी0 सिस्टम, ट्रान्सफारमर, डी0जी0 सेट, वाह्य विद्युतीकरण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यमद, विशिष्ट प्रकार की फाल्स सीलिंग, वाल पैनल तथा कारपेट फ्लोरिंग, वुडेन फ्लोरिंग व आडिटोरियम चेयर्स (फिक्स) आदि की दरें कोटेशन/ बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त कर इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(18) उक्त परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित लागत का विवरण संलग्न है।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-150 /दस-2023-24, दिनांक 08.09.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 272 /2023/3673(1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आशीनादेश संख्या 272/2023/3673/चार-2023 दिनांक 13.09.23 का संलग्नक

(रू0 लाख में)

क0सं0	कार्यमद	प्रस्तावित लागत	आंकलित लागत	कटौती
A	आडीटोरियम– 750 क्षमता			
1	सिविल कार्य	1077.74	1072.23	-5.51
2	आन्तरिक जलापूर्ति एवं मल निस्तारण	20.61	19.82	-0.79
3	आन्तरिक विद्युतीकरण	50.75	49.29	-1.46
4	फायर फाइटिंग सिस्टम	7.38	7.28	-0.10
5	वाह्य जल मल कार्य	11.28	11.28	0.00
6	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	27.79	27.79	0.00
7	बोरिंग व सबमर्सेबिल पम्प	12.80	12.80	0.00
	वाहय स्थल विकास			
8	ओपन पार्किंग–1045.63 व0मी0	28.07	26.14	-1.93
9	सी0सी0 रोड– 1972.98 व0मी0	52.97	49.32	-3.65
10	हार्टीकल्चर एवं लैण्डस्कैपिंग	7.02	6.00	-1.02
11	कर्ब स्टोन–340.71 र0मी0	1.25	1.25	0.00
	अन्य कार्य			0.00
12	CATWALK (AUDITORIUM)	6.50	6.00	-0.50
13	AUDITORIUM CHAIRS Fix - 750 No.	71.25	71.25	0.00
14	STEEL STRUCTURE FOR LIGHT & CURTAINS SYSTEM	4.63	4.63	0.00
15	Accoustical Wall Panelling - 1738.31 sqm	140.54	138.15	-2.39
16	Accoustical Minaral Fibre False Ceiling - 1309.37 sqm	30.14	27.26	-2.88
17	CARPET FLOORING - 989.436 sqm	18.49	16.92	-1.57
18	Wooden Flooring - 471.02 sqm	44.28	39.85	-4.43
19	AIR CONDITIONING For AUDITORIUM- 168 H.P.	143.65	80.30	-63.35
	Total	**1757.14**	**1667.56**	**-89.58**
20	आकस्मिक व्यय– 1 प्रतिशत	17.57	16.68	-0.90
	Total	**1774.71**	**1684.24**	**-90.47**
21	5 प्रतिशत की कमी	-88.74	-84.21	4.52
	योग	**1685.98**	**1600.03**	**-85.95**
22	सेन्टेज– 10 प्रतिशत	210.75	160.00	-50.74
23	लेबर सेस– 1 प्रतिशत	16.86	16.00	-0.86
24	जी0एस0टी0– 18 प्रतिशत	303.48	288.00	-15.47
25	डी0जी0 सेट– 400 के0वी0ए0 01 नग	24.17	24.17	0.00
26	ट्रान्सफार्मर– 500 के0वी0ए0	16.06	16.06	0.00
27	आडीटोरियम साउण्ड सिस्टम	42.70	0.00	-42.70
28	वीडियो प्रोजेक्टर सिस्टम	21.58	0.00	-21.58
29	स्टेज लाइटिंग	35.95	0.00	-35.95
30	यू0पी0एस0	9.63	9.63	0.00
31	स्टेज कर्टेन सिस्टम	22.28	0.00	-22.28

(रू० लाख में)

क०सं०	कार्यमद	प्रस्तावित लागत	आंकलित लागत	कटौती
32	बैक स्टेज एनाउंसमेण्ट कम कॉल सिस्टम	0.77	0.00	-0.77
33	चेयर्स मीटिंग हॉल हेतु	10.62	0.00	-10.62
34	एक्जीक्यूटिव चेयर्स	0.55	0.00	-0.55
35	टेबिल मीटिंग हॉल हेतु	34.00	0.00	-34.00
36	PROSCENIUM	11.96	0.00	-11.96
37	CYCLOROMA	3.76	0.00	-3.76
38	जी0एस0टी0 (क0 25 सं0 37 तक)	42.13	8.97	-33.15
39	वाहय विद्युत संयोजन	5.00	5.00	0.00
	प्रायोजना की कुल लागत	**2498.21**	**2127.87**	**-370.34**

कृपया सहमति की दशा में पत्रावली अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रशासकीय विभाग को भेजना चाहें।

22/6/2023
(देवेन्द्र सिंह सोलंकी)
शोध अधिकारी
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ

संस्कृति अनुभाग

22.6.2023
(इं० राजेश कुमार)
निदेशक
प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०
योजना भवन, लखनऊ